न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

(61)

गेन्दो महतो वगै0 बनाम् अभिनन्दन प्रताप सिंह वगै0
विविध वाद संख्या –45 / 2024
U/S – 144 Cr. P. C.

आदेश की क्र0सं0 और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. गेन्दो महतो, पिता – स्व0 जयनाथ महतो,
2. सुदामा यादव, पिता – स्व0 मंगर महतो,

सभी साकिन– उर्रो, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. अभिनन्दन प्रताप सिंह, पिता – स्व0 दीपलाल सिंह,
2. मीरा सिंह, पति – अभिनन्दन प्रताप सिंह,

सभी साकिन– छत्रबाद, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	चौहद्दी
उर्रो	28	1560	1.30 ए0	उ0– जानकी महतो, द0– नीज, पू0– रास्ता, प0– रास्ता।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष / उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 16.03.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है :–

1. लिखित आवेदन – कुल 05 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. नेहाल राउत वगै0 के नाम ऑफलाईन खतियान की छायाप्रति– कुल 09 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. नेहाल महतो वगै0 के नाम से ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**

01.06.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

4. ऑनलाईन नक्शा की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. गेन्दो महतो एवं सुदामा यादव की आधार कार्ड की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**

प्रथम पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वाइंट नं0 02 – यह कि प्रथम पक्ष की भूमि मौजा – उर्रो, थाना नं0 – 34 अंदर खाता नं0 – 28, प्लॉट नं0 – 1560, रकबा – 1.30 ए0 भूमि जिसकी चौहदी – उ0 – जानकी महतो, द0 – नीज, पू0 – रास्ता, प0 – रास्ता अवस्थित दर्ज है, जो प्रथम पक्ष के परदादा नेहाल राउत वो प्रसादी राउत, पेशरन – धरम राउत। हीशा व हीशा बराबर वो जादु राउत वो लीलो राउत पेशरन – सेवा राउत हीशा व हीशा बराबर कौम गोआला, साकिनदेह – टोला महुआ टोली के नाम से सर्वे खतियान दर्ज है तथा राजस्व रसीद 2012–2013 तक निर्गत हासिल है।

आवेदन का प्वाइंट नं0 03 – यह कि प्रथम पक्ष का वंशावली इस प्रकार है–

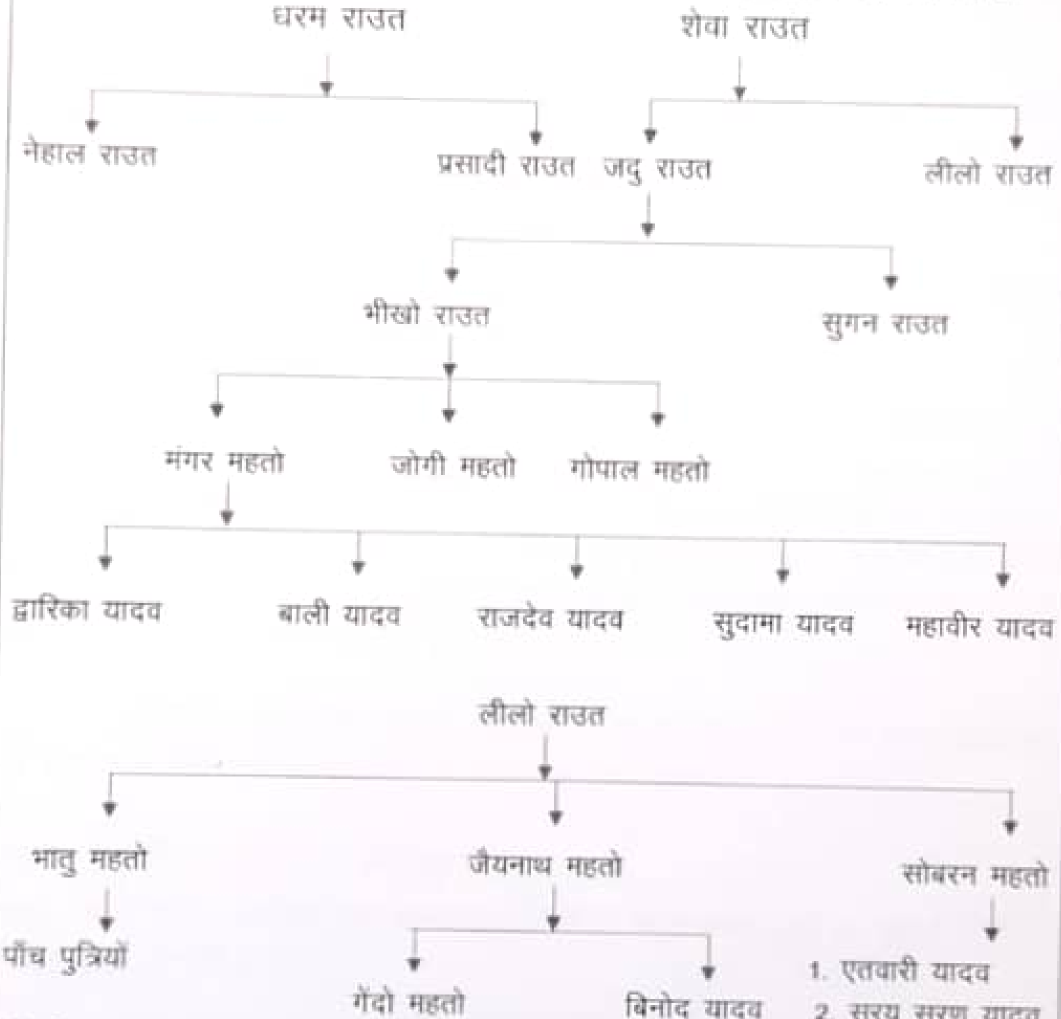

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष के द्वारा, दिनांक– 29.05.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**

01.06.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

(03)

2. केवाला संख्या – 11678, दिनांक – 29.10.2011 की छायाप्रति – कुल 07 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. केवाला संख्या – 11679, दिनांक – 29.10.2011 की छायाप्रति – कुल 05 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
4. मीरा सिंह के नाम से ऑफलाईन एवं ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**
5. अभिनन्दन प्रताप सिंह के नाम से ऑफलाईन एवं ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B-5**
6. मीरा सिंह एवं अभिनन्दन प्रताप सिंह के नाम से ऑनलाईन रजिस्टर II की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B-6**
7. पंचायतनामा की छायाप्रति, कुल – 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B-7**
8. द्वितीय पक्ष के बने हुए मकान/शेड के फोटो की छायाप्रति, कुल – 08 पृष्ठ, **प्रदर्श B-8**

द्वितीय पक्ष के लिखित कारण–पृच्छा में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 03 – यह कि विवाद उत्पन्न मौजा – उर्रो, थाना – सरिया, थाना नं0 – 34, खाता नं0 – 28, प्लॉट नं0 – 1560, रकबा – 1.30 ए0, पर दिनांक – 04.04.2024 को सरिया थाना के जाँच रिर्पोट के अनुसार हुवा है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 05 – यह कि उक्त जमीन पर वर्ष 2007 से दखलकार हूँ, पंचनामा के आधार पर।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 06 – यह कि द्वितीय पक्ष को यह जमीन सरयू महतो, पिता – सोबरन महतो से दिनांक – 29.10.2011 को सेल डीड नं0 – 13311/11678 से मीरा सिंह को, जिसकी चौहदी उ0 – डोमन महतो, द0 – नीज अभिनन्दन प्रताप सिंह का मकान, पू0 – सर्वे रास्ता, प0 – हाल रास्ता एवं सेल डीड नं0 – 13312/11679 से अभिनन्दन प्रताप सिंह को, जिसका चौहदी उ0– नीज मोकिर, द0 – अजीज अंसारी उर्फ भुना मियां, पु0 – हाल रास्ता, प0 – नीज मोकिर के द्वारा हासिल है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 09 – यह कि उक्त जमीन का अंचल कार्यालय से नामान्तरण कराकर सरकारी रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत है।

थाना प्रभारी, सरिया का प्रतिवेदन –

थाना प्रभारी, सरिया का DR. No. 674/24, दिनांक – 04.04.2024; कुल 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ); प्रदर्श C-1

अंचल सरिया का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, सरिया का पत्रांक– 330/ दिनांक – 28.05.2024 अनुलग्नक सहित कुल – 04 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 02 पृष्ठ, रा0उ0नि0 एवं प्र0अं0नि0 का प्रतिवेदन – 02 पृष्ठ) – प्रदर्श D-1

01. 06. 2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

(04)

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	चौहदी
उरों	28	1560	1.30 ए0	उ0– जानकी महतो, द0– नीज, पू0– रास्ता, प0– रास्ता।

2. उक्त विवादित भूमि, खाता नं0 – 28, खतियान में **नेहाल राउत वो प्रसादी वो जदु राउत वो लीलो राउत** के नाम पर दर्ज है।
3. **उक्त खतियान की जमाबंदी** पंजी II के भाग संख्या – 1, पेज नं0 – 50 पर **नेहाल महतो वगै0** के नाम पर दर्ज है।
4. द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त विवादित जमीन को वे **जमाबंदी रैयत लीलो राउत के वंशज पोता सरयु महतो** से रजिस्ट्री केवाला संख्या – 11678, दिनांक – 29.10.2011 के माध्यम से रकबा – 09 डी0 तथा केवाला संख्या – 11679, दिनांक – 29.10.2011 के माध्यम से रकबा – 12 डी0 खरीदे हैं तथा दोनों केवाला का दाखिल खारिज होकर सरकारी लगान रसीद कट रहा है।
5. **प्रथम पक्ष गेंदो महतो** भी **जमाबंदी रैयत लीलो राउत के वंशज पोता है** तथा उनका कहना है कि उक्त प्लॉट नं0 – 1560 में आपसी घरैया बंटवारा नहीं हुआ था और बिना बंटवारा हुए ही खरीद – बिक्री किया गया है।

स्पष्ट है कि यह विवाद आपसी बंटवारा और हक – हकियत से संबंधित है, जिसका निपटारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

अतः इसी टिप्पणी के साथ वाद को समाप्त किया जाता है।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

01.06.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

01.06.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 10:59:39 +05:30
Location: 192.168.1.3

Scanned with CamScanner